(3)

संख्या–2954/XXVIII(1)/2016-19(मे0का0)/2015

प्रेषक,

डी0 सेन्थिल पाण्डियन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

493
25/1/17

सेवा में,

1– महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड।

2– निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा विभाग,
निदेशालय, देहरादून।

3– समस्त प्राचार्य,
राजकीय मेडिकल कॉलेज,
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांक 20 ~~दिसम्बर, 2016~~ जनवरी 2017

विषयः– **राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एम0बी0बी0एस0/एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यकमों में रियायती शिक्षण शुल्क पर अध्ययनरत छात्र–छात्राओं हेतु अनिवार्य सेवा संबंधी बॉण्ड में विहित प्रतिभू धनराशि को बढ़ाये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शासनादेश सं0–1145/XXVIII(1)/2013-U.O-03/2008 दिनांक 23.05.2013 के माध्यम से पूर्व में शासनादेश सं0–943/XXVIII(1)/2008-19/2005 T.C-IV दिनांक 23.07.2008 तथा शासनादेश सं0–2735/दस–2005–8(9)/2004 दिनांक 23.07.2008 द्वारा निर्धारित अनिवार्य राजकीय सेवा संबंधी पूर्व बॉण्ड को संशोधित कर उसके स्थान पर एम0बी0बी0एस0 तथा एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रम में रियायती दरों पर अध्ययनरत छात्र–छात्राओं हेतु अनिवार्य राजकीय सेवा संबंधी नवीन बॉण्ड प्रख्यापित किया गया।

2– अवगत कराना है कि उक्तानुसार एम0बी0बी0एस तथा एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रम हेतु नवीन बॉण्ड प्रख्यापित किये जाने के पश्चात भी प्रायः यह संज्ञान में आया कि रियायती दर पर एम0बी0बी0एस0 तथा एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात बॉण्डधारी चिकित्सकों द्वारा अनिवार्य राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड के अनुपालन को निष्फल किये जाने के उद्देश्य से मा0 न्यायालय के समक्ष विभिन्न रिट याचिकायें योजित करके अनिवार्य राजकीय सेवा संबंधी बॉण्ड के अनुपालन से बचने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है।

3– उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0–1145/XXVIII(1)/2013-U.O-03/2008 दिनांक 23.05.2013 के माध्यम से राजकीय मेडिकल कॉलेजों में रियायती दरों पर एम0बी0बी0एस0 तथा एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं हेतु प्रख्यापित बॉण्ड को निम्नवत् संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

i– शासनादेश सं0–1145/XXVIII(1)/2013-U.O-03/2008 दिनांक 23.05.2013 के माध्यम से राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में रियायती दरों पर अध्ययनरत छात्र–छात्राओं हेतु प्रख्यापित बॉण्ड के प्रस्तर–5(iv)(a)(b)तथा

E:\pankaj\...\2016\Draft 2016.doc

श्री Anil Uniyal for D.G.

क्रमशः...

प्रस्तर–6(2) में विहित व्यवस्था को संशोधित करते हुए बॉण्ड धनराशि को बढ़ाकर एकमुश्त ₹ 2,00,00,000/– (₹ दो करोड़ मात्र) निर्धारित किया जाता है।

ii– शासनादेश सं0–1145/XXVIII(1)/2013-U.O-03/2008 दिनांक 23.05.2013 के माध्यम से राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रम में रियायती दरों पर अध्ययनरत छात्र–छात्राओं हेतु प्रख्यापित बॉण्ड के प्रस्तर–5(iv)(a)(b) तथा प्रस्तर–6(2) में विहित व्यवस्था को संशोधित करते हुए बॉण्ड धनराशि को बढ़ाकर एकमुश्त ₹ 2,50,00,000/– (₹ दो करोड़ पचास लाख मात्र) निर्धारित किया जाता है।

4– उपरोक्तानुसार प्रस्तर–3(i) तथा 3(ii) में बढ़ी हुई बॉण्ड धनराशि शैक्षणिक सत्र 2017–18 से लागू होगी।

5– उक्त के अतिरिक्त शासनादेश सं0–1145/XXVIII(1)/2013-U.O-03/2008 दिनांक 23.05.2013 के माध्यम से राजकीय मेडिकल कॉलेजों में रियायती दरों पर एम0बी0बी0एस0 तथा एम0डी0/एम0एस0 पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं हेतु प्रख्यापित बॉण्ड में विहित शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

6– उपरोक्त में विहित प्राविधानों के अनुपालन का उत्तरदायित्व महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड/निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, देहरादून तथा समस्त राजकीय मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों का होगा।

7– उक्त संबंध में कृत कार्यवाही से तत्काल तथा भविष्य में समय–समय पर शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डी0 सेन्थिल पाण्डियन)
सचिव।

संख्या– /XXVIII(1)/2016-19(मे0का0)/2015 एवं तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री को मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमायूं मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव।